न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या - 85/24 GCMS NO 2024/134

रामस्वरूप पुत्र बिहारी जाति मीना निवासी खेडिया तहसील टोडाभीम जिला करौली

अपीलांट / वादी

बनाम

1. घंटोली उर्फ टीपोली पुत्र बिहारी
2. गिर्राज पुत्र बिहारी
3. रामचरण पुत्र बिहारी
4. जोधाराम पुत्र बिहारी
5. जौहरी पुत्र चौबे समस्त जातियान मीना निवासीयान खेडिया तहसील टोडाभीम जिला करौली

रेस्पो0 / वादीगण

6. मोतीराम पुत्र श्योनारायण
7. सुरश्री बेवा श्रीकिशन
8. दिलीप कुमार पुत्र श्रीकिशन
9. किरोडी पुत्र खिलाडी
10. उदयचंद पुत्र खिलाडी
11. चांदूलाल पुत्र हरिराम
12. नांदगी बेवा रामसहाय
13. भागचंद पुत्र रामसहाय
14. हरीश पुत्र रामसहाय
15. सुनिया बेवा धर्मसिह
16. देवी सिह पुत्र धर्म सिह
17. लल्लूराम पुत्र धर्म सिह
18. देवन पुत्र धर्म सिह
19. भजन पुत्र अंतू
20. चौथी पुत्र अंतू
21. सुगन उर्फ सुगन्या पुत्र जैन्या
22. तेजराम पुत्र जैन्या
23. शिवराम पुत्र जैन्या
24. गोपाल पुत्र नारायण
25. लखनलाल पुत्र नारायण
26. कृपाराम पुत्र नारायण
27. संतोष पुत्र भरतलाल
28. मिश्रीलाल पुत्र कजोडया
29. श्यामरूप पुत्र कजोडया
30. मंगली पुत्री कजोडया

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:25:46 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

31. श्रीमती रोशन पुत्री कजोडया
32. मीरा पुत्री कजोडया
33. मुनेश पुत्री कजोडया
34. मुक्ति बेवा श्यामलाल
35. महेन्द्र पुत्र श्यामलाल
36. सुरेश पुत्र श्यामलाल
37. रवि पुत्र श्यामलाल
38. सियाराम पुत्र फूलिया उर्फ फूसिया
39. राजाराम पुत्र फूलिया उर्फ फूसिया
40. हुकमबाई पुत्री फूलिया उर्फ फूसिया
41. प्रकाशी पुत्री फूलिया उर्फ फूसिया
42. बेशी पुत्र काडू
43. बल्ला पुत्र काडू
44. कलुआ पुत्र लालचंद
45. भोला पुत्र लालचंद
46. भगोती बेवा लालचंद
47. गुलबती पत्नि दाआराम
48. भगवान सहाय पुत्र श्योचंद
49. योगेश पुत्र श्योचंद
50. नारंगी पुत्री श्योचंद
51. प्रिया पुत्री श्योचंद
52. कमला बेवा श्योचंद
53. रामनिवास पुत्र रामरतन
54. मोहन पुत्र रामरतन
55. श्रीनिवास पुत्र रामरतन
56. अमर सिह पुत्र रामरतन
57. नज्जूसिह पुत्र रामरतन
58. केसन्ती बेवा रामरतन समस्त जातियान मीना निवासीयान खेडिया तहसील टोडाभीम जिला करौली
59. बैक आफ बडौदा शाखा करीरी
60. स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा टोडाभीम
61. पंजाव नेशनल बैक शाखा टोडाभीम
62. तहसीलदार तहसील टोडाभीम जिला करौली

रेस्पो0 / प्रतिवादीगण

(अपील विरूद्व मु0नं0 12/16 निर्णय व डिक्री दिनांक 8.7.16 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टोडाभीम)

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:25:46 IST
Reason: SelfAttested

अभिभाषक अपीला0 श्री पी.एल.गोयल
अभिभाषक रैस्पो0 श्री सुरेश चंद शर्मा, श्री हंसराम गुर्जर

दिनांक 29.09.2025

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरुद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 8.7.16 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टोडाभीम पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में वादीगण/अपीलांट रामस्वरूप व रेस्पो0 संख्या 1 ता 5 द्वारा दावा तकासमा आराजी एवं स्थाई निषेधाज्ञ इस आशय का पेश किया कि आराजी हाल खसरा न0 126 रकबा 10 ऐयर , 128 रकबा 4 ऐयर, 129 रकबा 4 ऐयर, 130 रकबा 4 ऐयर, 131 रकबा 3 ऐयर, 132 रकबा 3 ऐयर , 133 रकबा 5 ऐयर, 178 रकबा 4 ऐयर कुल किता 8 कुल रकबा 0.37 है0 स्थित ग्राम खेटिया तहसील टोडाभीम है। जिसमे वादी संख्या 1 का 1/10 हिस्सा व वादी न0 2 व 6 का हिस्सा 1/10, 1/10 के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। आरजी हाल खाता संख्या 74 के खसरा न0 183 रकबा 0.14 ऐयर, 165 रकबा 0.15 ऐयर, 166 रकबा 0.13 ऐयर, 168 रकबा 0.08 है0, 169 रकबा 0.12 है0, 170 रकबा 0.15 है0, 172 रकबा 0.17 है0, 173 रकबा 0.18 है0, 177 रकबा 0.08 है0, कुल किता 9 कुल रकबा 1.20 है0 वाके ग्राम खेडिया तहसील टोडाभीम स्थित है। जिसमे वादी न0 1, 2 व 6 1/10, 1/10 के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। हाल खाता संख्या 106 के खसरा न0 134 रकबा 0.10 है0, 135 रकबा 0.7 है0,136 रकबा 0.08 है0, 137 रकबा 0.10 है0, 157/742 रकबा 0.16 है0, 161 रकबा 0.15 है0, 162 रकबा 0.12 है0, 171 रकबा 0.06 है0, 174 रकबा 0.13 है0 कुल किता 10 कुल रकबा 1.00 है0 वाके ग्राम खेडिया तहसील टोडाभीम मे स्थित है। जिसमे वादी संख्या 1 व 2 व 6 1/10, 1/10 के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। हाल खाता संख्या 107 के खसरा न0 176 रकबा 0.02 है0 स्थित ग्राम खेडिया मे वादी संख्या 1 ता 5 हिस्सा 1/10 व वादी संख्या 6 के पिता चौबे का हिस्सा 1/10 के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। आराजी हाल खाता संख्या 108 के खसरा न0 179 रकबा 0.12 है0, 181 रकबा 0.17 है0, 182 रकबा 0.18 है0, 183 रकबा 0.16 है0, 184 रकबा 0.18 है0, 185 रकबा 0.17 है0, 186 रकबा 0.17 है0 187 रकबा 0.18 है0, 200 रकबा 0.12 है0, 201 रकबा 0.11 है0, 202 रकबा 0.15 है0, 203 रकबा 0.12 है0, 204 रकबा 0.14 है0, 205 रकबा 0.13 है0 कुल किता 14 कुल रकबा 2.10 है0 वाके ग्राम खेडिया स्थित है। जिसमे वादी संख्या 1 ता 5 हिस्सा 1/10 के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। हाल खाता संख्या 117 के खसरा न0 175 रकबा 0.18 है0, 180 रकबा 0.16 है0, 188 रकबा 0.18 है0, 197 रकबा 0.12 है0, 198 रकबा 0.13 है0, 199 रकबा 0.13 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 0.90 है0 वाके ग्राम खेडिया स्थित है जिसमे वादी संख्या 1 ता 5 हिस्सा 1/10 के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। उक्त आराजीयात का वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने मौके पर आपसी तौर पर बंटवारा कर रखा है तथा वादीगण व प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्से अनुसार मौके पर [illegible] काश्त है। लेकिन वादीगण एंव प्रतिवादीगण के मध्य रिकार्डेड तकासमा नहीं होने के कारण [illegible] को लेकर विवाद होता रहता है। इसलिए उक्त वर्णित आराजीयात का मौके व हिस्से अनुसार अलग अलग खाता कायम किया जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वादीगण के कब्जे

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:25:46 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

काश्त मे किसी प्रकार की दखलअंदाजी नही करे। कोई ऐसा कार्य नही करे जिससे वादीगण के अधिकारो पर विपरीत प्रभाव पडे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से वादीगण/अपीलांट व रेस्पो० संख्या 1 ता 5 द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 9.6.16 को वादीगण एवं प्रतिवादी की आपसी सहमति के आधार पर दावा वादी प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार टोडाभीम को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर विवादित आराजीयात की बंटवारा स्कीम तलब की गई। तहसीलदार टोडाभीम द्वारा प्रस्तुत बंटवारा स्कीम पर वादी एवं प्रतिवादी वकील द्वारा मुताबिक बंटवारा स्कीम दावा डिक्री किये जाने का अनुरोध किये जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आपसी सहमति के आधार पर राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प खेडी मे वादीगण का वाद पत्र डिक्री किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/वादी संख्या 5 द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो० को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अभिभाषको की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री खिलाफ कानून एवं रूयेदाद मिसल होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण का वाद दिनांक 9.6.16 को मुताबिक राजस्व रिकार्ड प्राथमिक डिक्री किया गया है और डिक्री के अनुसरण तहसीलदार टोडाभीम को बंटवारा स्कीम पेश किये जाने हेतु कमिश्नर नियुक्त किया गया है मगर तहसीलदार टोडाभीम द्वारा खाता संख्या 108 की आराजी के खसरा न० 179,181,182,183,184,185,186,187,200,201,202,203, 204,205 कुल किता 14 कुल रकबा 2.10 है० तथा खाता संख्या 111 की आराजी खसरा न० 175,180,188,197,198,199 कुल किता 6 कुल रकबा 90 ऐयर स्थित ग्राम खेडिया तहसील टोडाभीम उक्त दोनो खातो मे मुताबिक वाद पत्र वादीगण अर्थात अपीलांट व रेस्पो० संख्या 1 ता 5 के हिस्से के संबंध मे कोई बंटवारा स्कीम पेश नही की, जबकि वादीगण उक्त दोनो खातो की आराजीयात मे मुताबिक वाद पत्र अपने हिस्से का बंटवारा कराने के कानूनी अधिकारी रहे है। इसलिए उक्त निर्णय व डिक्री खिलाफ कानून होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट रामस्वरूप विवादित आराजीयात के दो खातो 108 व 111 मे सहखातेदार रहा है तथा उक्त दोनो खातो मे मुताबिक प्राथमिक डिक्री अपीलांट अपने हिस्से को प्राप्त करने का और उसका बंटवारा कराने का कानूनी अधिकारी रहा है। मगर तहसीलदार द्वारा अपनी बंटवारा स्कीम मे ना तो अपीलांट के हिस्से का कोई खसरा न० अंकित किया और ना ही बंटवारा स्कीम मे उसके हिस्से को किसी प्रकार से दर्शाया गया। इसके अतिरिक्त उक्त खाता की आराजीयात मे अपीलांट के हिस्से को क्यो छोड दिया गया इस संबंध मे भी स्पष्ट नहीं किया गया, जबकि मुताबिक प्राथमिक डिक्री अपीलांट उक्त आराजीयात मे अपना हिस्सा बंटवारा करा कर अलग से प्राप्त करने का अधिकारी रहा है, मगर अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त बंटवारा स्कीम को बिना देखे व

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:25:46 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

प्राथमिक डिक्री के अनुरूप न होने के उपरान्त भी आंख मूदकर उस पर विश्वास कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई है जो जैर अपील निरस्त किये जाने योग्य है। तहसीलदार टोडाभीम द्वारा मुताबिक प्राथमिक डिक्री खाता संख्या 108 व 111 की आराजीयात की मौके पर कोई बंटवारा स्कीम किसी प्रकार की तैयार नही की, इसलिए उक्त बंटवारा स्कीम मुताबिक प्राथमिक डिक्री के अनुरूप न होने से सारहीन रही है। मगर अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त सम्पूर्ण स्थिति को इग्नोर करते हुए उक्त विधि विरूद्व प्राथमिक डिक्री के विपरीत बंटवारा स्कीम पर आंख मूदकर विश्वास कर अंतिम डिक्री पारित करने मे भारी कानूनी भूल की है जो जैर अपील निरस्त किये जाने योग्य है। अंतिम डिक्री के पश्चात प्रतिवादी न0 7 रामसहाय, प्रतिवादी न0 14 सिगारी, प्रतिवादी न0 18 भरतलाल, प्रतिवादी न0 23 कजोडया, प्रतिवादी न0 24 फूलियां उर्फ फूसिया का स्वर्गवास हो गया तथा प्रतिवादी न0 14 सिगारी के वारिस प्रतिवादी न0 15 ता 17 पूर्व से ही पक्षकार है तथा प्रतिवादी न0 18 भरतलाल का वारिस पूर्व से ही प्रतिवादी न0 22 है तथा शेष प्रतिवादी रामसहाय,कजोडया व फूलिया उर्फ फूसिया के वारिसान को प्रकरण मे पक्षकार बनाया गया है। अपीलांट/वादी बिना पढा लिखा है जो कानूनी कायदो को नही समझता है तथा अपीलांट को उक्त अंतिम डिक्री के सबंध मे अपने वकील से पूछने पर वकील ने बताया कि तुम्हारी जमीन का बंटवारा हो गया है। जिस पर विश्वास कर अपीलांट अपने घर चला गया । अपीलांट उक्त अपने हिस्से की आराजीयात पर ऋण लेने के लिए अगस्त 2024 के अंतिम सप्ताह मे पटवारी हल्का से मिला तो उक्त आराजीयात मे वादी/अपीलांट की खातेदारी दर्ज नही मिली। जिस पर अपीलांट ने अपने अधिवक्ता ने सम्पर्क कर वास्तविक स्थिति की जानकारी कर कानूनी सलाह प्राप्त कर जानकारी के आधार पर अपील अन्दर मियाद पेश की गई है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम डिक्री दिनांक 8.7.16 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जावे कि मुताबिक प्राथमिक डिक्री मौके पर जाकर पुनः बंटवारा स्कीम बनाई जाकर वादी/अपीलांट को उसके हिस्से की आराजीयात का मुताबिक मौका बंटवारा किया जाकर अंतिम डिक्री पारित फरमाई जावे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता ने बहस के दौरान कथन किया कि अपीलांट अधिवक्ता द्वारा बार बार कथन किया गया था कि तहसीलदार द्वारा जो बंटवारा स्कीम भिजवाई गई है उसमे अपीलांट को खाता संख्या 108 व 111 के दर्ज आराजीयात मे से हिस्सा नही दिया गया है। इस संबंध मे यह तथ्य स्पष्ट है कि यदि अपीलांट को इस तथ्य के सबंध मे चाराजोही करनी थी तो उनको बंटवारा स्कीम के अवलोकन के पश्चात ही अधिनस्थ न्यायालय मे आपत्ति दर्ज करानी चाहिए थी जो उनके द्वारा नही कराई गई है एवं अब अपील मे यह कथन किया जा रहा है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार मे पारित निर्णय व डिक्री के विरूद्व पेश की गई है जबकि कानूनन विभाग के आदेश मे लोक अदालत मे पारित आदेश के विरूद्व अपील संधारण योग्य नही है इस बाबत आर आर डी 2020 पेज संख्या 187 से होती है। जिसमे स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि विभाजन का आदेश आपसी सहमति से

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:25:46 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

लोक अदालत मे पारित के विरूद्व अपील संधारणीय नही केवल रिट के माध्यम से ही उच्च न्यायालय मे चुनौती दी जा सकती है। हस्तगत प्रकरण मे भी वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्राथमिक डिक्री दिनांक 9.6.16 को दी गई थी उसके पश्चात तहसीलदार से बंटवारा स्कीम प्राप्त होने पर उभयपक्ष द्वारा बंटवारा स्कीम पर सहमति दिये जाने के उपरान्त ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा फाईनल डिक्री पारित की गई है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री की अपील अपीलांट द्वारा नही की गई है। फाईनल डिक्री अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आपसी सहमति से दिनांक 8.7.16 को पारित की गई है जिसमे विरूद्व अपील अपीलांट द्वारा 8 वर्ष पश्चात सन 2024 मे न्यायालय हाजा मे पेश की गई है। अपील पेश करने मे हुए बिलम्व के संबंध मे अपीलांट अ अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि अपीलांट को उक्त अंतिम निर्णय की जानकारी वकील से सम्पर्क करने पर हुई। अपीलांट का यह कथन मिथ्या है क्योकि तहसीलदार द्वारा जो बंटवारा स्कीम मौके पर तेयार की गई है उस पर अपीलांट रामस्वरूप के हस्ताक्षर स्वरूप अगूठा निशानी मौजूद है। इस प्रकार अपीलांट का उक्त कथन मिथ्या साबित है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को बिलम्व से पेश करने के संबंध मे किसी विधिक कारण का उल्लेख अपने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम मे अपीलांट द्वारा नहीं किया गया है जबकि कानूनन बिलम्व के कारणो का प्रत्येक दिवस का उल्लेख किया जाना आवश्यक होता है। इस प्रकार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर होने एवं अपीलाधीन निर्णय व डिक्री राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार मे पारित होने के कारण अपील संधारणीय नही होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतःअपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन आदेश एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो ससम्मान अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट खेडी मे पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 8.7.16 के विरूद्व पेश की गई है। चूकि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री के लगभग 8 वर्ष पश्चात इस न्यायालय मे पेश की गई है। मियाद के बिन्दु पर अपीलांट अधिवक्ता का कथन रहा कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम डिक्री की जानकारी अपीलांट के अनपढ होने की वजह से समय पर नही हो सकी, इस संबंध मे यह तथ्य सामने आता है कि विवादित आराजीयात के बाबत जो बंटवारा स्कीम तहसीलदार टोडाभीम द्वारा तैयार की गई है जिस पर अपीलांट के हस्ताक्षर स्वरूप अगूठा निशानी मौजूद है इससे स्पष्ट है कि अपीलांट को जब बंटवारा स्कीम की जानकारी थी तो आवश्यक रूप से निर्णय व डिक्री भी जानकारी मे रही होगी अतः अपीलांट का यह कथन सही साबित नही होता है। अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वारा केम्प कोर्ट खेडी मे पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 8.7.16 है जिसको अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण एवं प्रतिवादीगण की आपसी सहमति के आधार पर ही फाईनल डिक्री किया गया है। जबकि कानूनन विभाजन के आदेश मे आपसी सहमति से लोक अदालत मे पारित आदेश के विरूद्व अपील संधारण योग्य नही है। इस मत की पुष्टि रेस्पो0 अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:25:46 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

आर आर डी 2020 पेज संख्या 187 से होती है। जिसमे स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि विभाजन का आदेश आपसी सहमति से लोक अदालत मे पारित के विरूद्व अपील संधारणीय नही केवल रिट के माध्यम से ही उच्च न्यायालय मे चुनौती दी जा सकती है। राज्य सरकार द्वारा खातेदारो की सुविधा हेतु समय समय पर इस प्रकार के केम्प आयोजित किये जाते है जिससे की खातेदारो को छोटे छोटे कार्य के लिए समय पर सुलभ न्याय प्राप्त हो सके। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आपसी सहमति के आधार पर राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प खेडी मे विधिवत रूप से पारित की गई है। जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही होने से उसमे किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होने से अपीलांट की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अतःअपील अपीलांट मियाद बाहर होने एवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा सहमति दिये जाने के आधार पर राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार मे निर्णित/डिक्री होने से अपीलांट की अपील कानूनन संधारणीय योग्य नही होने के कारण खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम के प्रकरण संख्या 12/16 मे पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 8.7.16 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 29.09.2025 को लिखाय जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

राजस्व अपील अधिकारी सवाई माधोपुर (राजस्थान)

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:25:46 IST
Reason: SelfAttested